UPRN010031722026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)

रमाबाई नगर, (कानपुर देहात)।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–308/2026

वीरेन्द्र कुमार.....बनाम.....रघुराज सिंह ठाकुर आदि

अं०धारा–173(4) BNSS

थाना–मंगलपुर, कानपुर देहात।

दिनांक–18.07.2026

1– प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अं०धारा–173(4) BNSS मय शपथपत्र विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने एवं विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी द्वारा अपने आवेदनपत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि दिनांक–20.01.2026 को समय करीब 06:00 बजे शाम को गांव के ही रघुराज सिंह ठाकुर पुत्र–प्रहलाद सिंह ठाकुर, रचना पत्नी–रघुराज सिंह, कृष्णा, राज ठाकुर पुत्रगण–राघुराज सिंह ठाकुर प्रार्थी घर आये और घर के सामने जानवरो को खिलाने हेतु रखा पुआल व लकड़ियों में आग लगा दी। प्रार्थी के द्वारा मना करने पर उक्त लोग अपने–अपने हाथों में कुल्हाड़ी व लाठी डण्डा लेकर भद्दी–भद्दी जातिसूचक अपशब्दों साले (चमट्टे) कहीं के हमारे घर के बगल में पुआल लकड़ी व जानवर नहीं बांध सकते हो, विरोध करने पर उक्त लोगों ने एक राय होकर लात घूंसो व लाठी–डण्डों से मारपीट किया। उक्त लोगों की मारपीट से प्रार्थी व प्रार्थी की पुत्रियां बबली व आरती देवी व प्रार्थी की पत्नी विमला को अन्दरूनी चोटे आयी हैं। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना तुरन्त 112 नं० डायल कर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस आयी थी, परन्तु कोई भी कार्यवाही नही की है। प्रार्थी के द्वारा थाने में दिये गये प्रार्थना पत्र से आक्रोशित होकर दिनांक–02.04.2026 को समय करीब 08:00 बजे सुबह उपरोक्त विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थी व प्रार्थी की पुत्री आरती को मां बहन व जाति सूचक गालियां देते हुए साली चमरिया कहकर अपमानित करते हुए मारपीट की गयी। प्रार्थी ने थाना हाजा मंगलपुर में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। थाना हाजा में कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक–20.02.2026 को लिखित प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात व श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० शासन लखनऊ को प्रेषित किया, परन्तु उस पर भी आज तक कोई भी कार्यवाही नही हुई। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर, कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची से आधार कार्ड की प्रति, पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष एस०सी०/एस०टी० आयोग व पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद की प्रति व जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

4– प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार उक्त प्रकरण के संबंध

में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के कथानक से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण पर यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसके तथा उसके परिवारिजन के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज व मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थनापत्र के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी को घटना की पूर्ण जानकारी है, जिसे वह मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० पृष्ठ सं.739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था रमेश भाई पाण्डूराव बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 2010(SC) 1877** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में दिये गये दिशा निर्देशों व थाने की आख्या को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक–24.08.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नियमानुसार नोटिस नियत तिथि के लिए जारी हो।

(प्रभा नाथ त्रिपाठी)
I.D.No– UP06288
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.2/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०)एक्ट,
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।